

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित

देहरादून: दिनांक: 05 सितम्बर, 2018

विषय:-उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण विधेयक, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष एवं मण्डल स्तर से किये जाने वाले शैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों के स्थानांतरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: सेवायें-1/13343/3(2)-स्था0/2018-19 दिनांक 08 अगस्त, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विधेयक 2017 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष एवं मण्डल स्तर से स्थानांतरण की प्रक्रिया सम्पादित किए जाने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में स्थानांतरण अवधि समाप्त हो जाने के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष स्तर एवं मण्डल स्तर से स्थानांतरण की प्रक्रिया सम्पादित किए जाने हेतु आगामी सत्र में विचार किया जाए।

भवदीया,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)

सचिव।